

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

अशोक कुमार पिता शान्ति लाल जयसवाल बनाम ओमप्रकाश पिता शान्ति लाल
निवासी हुरड़ा जयसवाल निवासी हुरड़ा

किस्म मुकदमा- वाद पत्र अन्तर्गत धारा - 53, 188 रा.टी.ए.

प्रकरण संख्या- 44 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-4-2018	<p>बाद जाँच वाद पत्र प्रस्तुत हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जावेँ प्रतिवादीगण को जरियें समन तलब किया जाकर मिलस दिनांक 17.04.2018 को पेश करें ।</p> <p>सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा</p> <p>17-4-18 वाद पत्र पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित। आज 17.04.2018 को वाद पत्र पेश करने के पश्चात से पत्रवाली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24.4.2018 को पेश करें।</p> <p>सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा</p> <p>18/6/2018</p> <p>पत्रवाली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट हुरडा पर पेश हुई। वादी अशोक कुमार उपस्थित है। वादी अशोक कुमार के द्वारा प्रकरण में भूमि का विभाजन नहीं कराना जाहिर करने से इस प्रकरण को कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रवाली शुमार फैसला होकर दाखिल दफ्तर करे। अदेश आज दिनांक 18/6/2018 को डाली लोक अदालत कैम्प कोर्ट हुरडा पर सुनाया गया।</p> <p>सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा</p>	<p>मैं उक्त जज को वेंकरा नोट का कान कोटोई! 18-6-18</p> <p>सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (गुलाबपुरा)</p>

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा